सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— सुश्री निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)
वाद संख्या : 21/2017

निर्णय दिनांक:20.02.2018

1. रामेश्वर प्रसाद | पुत्रान हजारीलाल जाति जाट
2. भींवाराम |

निवासी ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर।'

—वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र श्री बींजा राम उर्फ विजयलाल
2. राजेन्द्र सिंह | पुत्रान सुवालाल
3. सायर सिंह |

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन ,घोषणा खातेदारी

निर्णय

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत विभाजन ,घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं0 32, 33, 37, 39 लगायत 45 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 5.30 है0 भूमि वादअधीन भूमि है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण के पिता हजारीलाल, प्रतिवादी सं0 1 मुरलीधर व प्रतिवादीगण सं0 2, 3 के पिता सुवालाल ने शामिल में खरीद कर काबिज काश्त है। खरीद में 1/2 हिस्सा की कीमत वादीगण के पिता हजारीलाल ने तथा 1/4 हिस्सा की प्रतिवादी सं0 1 ने व 1/4 हिस्सा की प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पिता श्री सुवालाल ने कीमत देकर भूमि खरीद की है। खरीद के समय से वादीगण व वादीगण से पहले अपने जीवन काल में वादीगण का पिता स्व0 हजारीलाल काबिज काश्त रहा एवं हिस्सा 1/2 भाग का लगान राज में मांग के अनुसार जमा कराता रहा है। स्व0 हजारीलाल के देहान्त के बाद अब वादीगण काबिज काश्त है एवं मांग के अनुसार लगान राज में जमा कराते आ रहे है। शेष 1/4 भाग पर प्रतिवादी सं0 1 स्वयं तथा 1/4 भाग पर प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 का पिता सुवालाल अपने जीवन काल तक काबिज काश्त रहे तथा सुवालाल के देहान्त के बाद से प्रतिवादीगण सं0 2, 3 अपने हिस्सा पर काबिज काश्त है एवं मांग के अनुसार लगान राज में जमा कराते रहे है।

प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्सा 1/4 भाग की भूमि पर कय दिनांक से काबिज काश्त है एवं मांग के अनुसार लगान राज0 में जमा कराते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार कुटुम्ब के व्यक्ति है। खरीद के समय विकय पत्र लेखक ने विकय पत्र में गलती से अलग—अलग विकय पत्र लिख दिये जबकि जमीन तीनों भाइयों ने सामलाती हिस्सा 1/2 भाग हजारीलाल व 1/2 भाग मुरलीधर, सुवालाल ने बराबर—बराबर खरीद की है। खरीद समय से ही केतागण शामलाती अपने—अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2, 3 के पिता कमश हजारीलाल एवं सुवालाल का देहान्त हो गया है तथा इनके वारिसान का नामान्तकरण में राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया है तथा खातेदारान पक्षकारान को अब शामिल में काश्त करने में अडचने आने लगी है। सभी की काश्त के लिए सहमति बनने में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

अडचने आने लगी है, इस कारण दिनांक 11.06.2017 को सभी हिस्सादारान खातेदारान ने आम सहमति से भूमि वादग्रस्त का बाहमी बंटवारा कर लिया है जो निम्नानुसार है –

क्रं0 सं0	बंटवारे में भूमि प्राप्तकर्ता खातेदारान का नाम	बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बरान	बंटवारे में प्राप्त रकबा
1	1. रामेश्वर पुत्र हजारीलाल 2. भीमाराम पुत्र हजारीलाल वादीगण	32 33 37 40 41	0.68 है0 0.63 है0 0.77 है0 0.05 है0 0.52 है0 उतरी व पूर्वी भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) **कुल 2.65 है0**
2	1. मुरलीधर पुत्र विजयपाल उर्फ बींजा प्रतिवादी सं0 1	41/1 39 44 42	0.23 है0 दक्षिण पश्चिमी भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा प्रस्तावित खसरा नं0 41/1 के अनुसार) 0.05 है0 0.51 है0 0.54 है0 **कुल 1.33 है0**
3	1. राजेन्द्र सिंह | पुत्रान सुवालाल 2. सायर सिंह | प्रतिवादीगण सं0 2 व 3	42/1 43 45	0.06 है0 दक्षिण भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) 0.60 है0 0.66 है0 **कुल 1.32 है0**

उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 को आधा एयर भूमि प्रतिवादीगण सं0 2, 3 के हिस्सा में से अधिक प्राप्त हुयी है क्योंकि प्रतिवादीगण सं0 2, 3 को प्राप्त भूमि तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी श्रेणी की होने से बराबर–बराबर करने के लिए आधा एयर भूमि अधिक दी गई है तथा संलग्न नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादीगण को अधिकार है कि अपनी खातेदारी भूमि का बंटवारा करावे एवं मुताबिक बंटवारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावें। खरीद के समय केतागण तीनों भाइयों में से बडे भाइयों ने 1/4–1/4 कुल 1/2 भाग की भूमि खरीद की थी परन्तु विक्रय पत्र लिखते समय डीड राइटर ने गलत से अलग–अलग नम्बर विक्रय पत्र में अंकित कर दिये जिससे रकबा जमाबन्दी में अन्तर आ गया। वादीगण के पिता हजारीलाल, प्रतिवादी सं0 मुरलीधर तथा प्रतिवादी सं0 2, 3 के पिता सुवालाल भूमि वादग्रस्त को सामिल में ही काश्त करते थे, हजारीलाल व सुवालाल की मृत्यु के बाद मुरलीधर प्रतिवादी सं0 1 एवं हजारीलाल एवं सुवालाल के वारिसान भी अब तक सामिल में ही काश्त करते आ रहे है। अब भूमिगत पानी की कमी आने के कारण अपनी–अपनी भूमि का बंटवारा कर अलग–अलग योजना के अन्तर्गत फलदार पेडों आदि की कृषि करने की योजना के तहत कृषि कार्य करना चाहते है इस कारण भूमि को अपने–अपने हिस्सानुसार बंटवारा करना चाहते है। जिससे वादीगण को अधिकार है कि अपनी खातेदारी भूमि का वैधानिक रूप में बंटवारा अपने बाहमी बंटवारा दिनांक 11.06.2017 के अनुसार करावे मुताबिक बंटवारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे तथा मुताबिक बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अमल करावें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 भाग, प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीगण सं0 2, 3 को हिस्सा 1/4 का (उक्त प्रस्तुत बाहमी बंटवारा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि का विधिक बंटवारा तस्दीक फरमाया जाकर निर्णय डिक्री फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावें।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों के जवाब के रूप में तथा अग्रिम कार्यवाही के लम्बित रहते समस्त पक्षकारान द्वारा स्वयं मय अधिवक्तागण उपस्थित होकर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र व बंटवारा तस्दीक फरमाया जाकर वादपत्र में वर्णित अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा किए जाने बाबत प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान, पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा की गई। जिसके क्रम में पक्षकारान को प्रस्तुत राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र वादी सं0 2 भीमाराम व स्वतंत्र गवाह साधुराम व नानूराम के पेश किए गए। जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह भी की गई। तत्पश्चात अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नही करने बाबत कथन करने पर उभयपक्षकारान की बहस राजीनामा पर सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस राजीनामा पर सुनी। तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि समस्त पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर लिया जाना स्वीकार करते हुए वादपत्र में वर्णित अनुसार प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई है। अतः पक्षकारान की सहमति के आधार पर ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं0 32, 33, 37, 39 लगायत 45 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 5.30 है0 के सन्दर्भ में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार वादीगण को भूमि खसरा नं0 32, 33, 37, 40, 41 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 2.65 है0 का खातेदार तथा प्रतिवादी सं0 1 को प्रस्तावित खसरा नं0 41/1 (रकबा 0.23 है0), 42, 44, 39 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.33 है0 एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को राजीनामें के प्रस्तावित खसरा 42/1 (0.06 है0), 43, 45 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमतिनिधि नारनोलिया (आर.ए.एस)**

वाद संख्याः 21/2017 **निर्णय दिनांक 20.02.2018**

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्रान | हजारीलाल जाति जाट
2. भींवाराम |

निवासी ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र श्री बींजा राम उर्फ विजयलाल
2. राजेन्द्र सिंह | पुत्रान सुवालाल
3. सायर सिंह |

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन ,घोषणा खातेदारी

निर्णय

पक्षकारान की सहमति के आधार पर ग्राम लखेर तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं0 32, 33, 37, 39 लगायत 45 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 5.30 है0 के सन्दर्भ में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार वादीगण को भूमि खसरा नं0 32, 33, 37, 40, 41 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 2.65 है0 का खातेदार तथा प्रतिवादी सं0 1 को प्रस्तावित खसरा नं0 41/1 (रकबा 0.23 है0), 42, 44, 39 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.33 है0 एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को राजीनामें के प्रस्तावित खसरा 42/1 (0.06 है0), 43, 45 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते है प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय/डिकी का हिस्सा रहेगा।" । तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।तदनुसार वाद वादीगण निम्नानुसार डिकी किया जाता है।

क्र0 सं0	बंटवारे में भूमि प्राप्तकर्ता खातेदारान का नाम	बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बरान	बंटवारे में प्राप्त रकबा
1	1. रामेश्वर पुत्र हजारीलाल 2. भीमाराम पुत्र हजारीलाल वादीगण	32 33 37 40 41	0.68 है0 0.63 है0 0.77 है0 0.05 है0 0.52 है0 उतरी व पूर्वी भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) कुल 2.65 है0
2	1. मुरलीधर पुत्र विजयपाल उर्फ बींजा प्रतिवादी सं0 1	41/1 39 44 42	0.23 है0 दक्षिण पश्चिमी भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा प्रस्तावित खसरा नं0 41/1 के अनुसार) 0.05 है0 0.51 है0 0.54 है0 कुल 1.33 है0
3	1. राजेन्द्र सिंह पुत्रान सुवालाल 2. सायर सिंह प्रतिवादीगण सं0 2 व 3	42/1 43 45	0.06 है0 दक्षिण भाग भूमि (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) 0.60 है0 0.66 है0 कुल 1.32 है0

Nidhi

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

दस्तखत———

ओहदा———

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर